

प्रेस नोट दिनांक- 14.05.2021

इटावा पुलिस द्वारा सवारियों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 01 अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त ईको कार, 01 सिक्का सफेद धातु एवं कुछ रुपयों सहित किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डॉ० बृजेश कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये विशेष अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा सवारियों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 01 अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त ईको कार, 01 सिक्का सफेद धातु एवं कुछ रुपयों सहित गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.05.2021 को थाना सिविल लाइन पर वादिया गीता देवी पत्नी अजय प्रताप सिंह निवासी रामनगर थाना फ्रेण्डस कालोनी द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 26.04.2021 की शाम 6:30 बजे वह शिकोहाबाद से इटावा के लिए ईको कार संख्या UP-83AH-3735 में अपने सूटकेस के साथ बैठी थी जिसमें कुछ आभूषण एवं 22000 रुपए की नगदी रखी हुयी थी जब मैं थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित सेन्ट मेरी कालेज के पास उतरी तो मेरे सूटकेस से सोने की चूड़ी, सोने की एक जोड़ी झुमकी, एक सोने की जंजीर, 03 जोड़ी कुंडल व 22000 रुपए की चोरी हो गयी थी । वादिया की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना सिविल लाइन पर मु०अ०स० 152/21 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया ।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व मे चोरी की घटना का शीघ्र सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना सिविल लाइन से टीम का गठन किया गया था ।

इसी क्रम में आज दिनांक 13/14.05.2021 की रात्रि को पुलिस टीम द्वारा डीपीएस स्कूल के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी तभी पुलिस टीम को एक ईको कार आती हुयी दिखाई दी जिसे संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा टॉर्च की रोशनी दिखाकर रोकने का इशारा किया तो गाड़ी चालक द्वारा गाड़ी को वापस पीछे की तरफ मोड़कर भागने का प्रयास किया इस दौरान रात्रि के अंधेरे का फायदा उठाकर 04 व्यक्ति भागने में सफल रहे तथा पुलिस टीम द्वारा मौके से एक व्यक्ति को ईको कार सहित पकड़ लिया गया । पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम अरविन्द पुत्र बबलू यादव निवासी खैर रोड इन्द्रानगर थाना देहली गेट जनपद अलीगढ़ बताया गया । जिसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक पर्स जिसमें कि 1500 रूपये, 01 सिक्का सफेद धातु , 05 अदद ज्वैलरी खरीदे हुए बिल, 03 अदद एलईडी टीवी बरामद की गयी जोकि थाना सिविल लाइन इटावा पर पंजीकृत अभियोग मु०अ०स० 152/2021 से सम्बन्धित थी ।

पुलिस पूछताछ-

पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त बरामद माल के संबंध में बताया गया कि हम लोग सवारियों को बैठाकर उनके साथ ठगी करते हैं दिनांक 26.04.2021 को हम लोगो द्वारा इटावा निवासी एक महिला को शिकोहाबाद से ईको कार में बिठा कर उसका पर्स चोरी कर लिया गया था । पर्स में सोने की जंजीर व सोने की चूड़ी व सोने की अंगूठी मिली थी हम लोगों ने उसमें से चूड़ी बेच दी है तथा उससे

जो रूपये प्राप्त हुए थे वो आपस में बाँट लिये थे मेरे हिस्से में 2500 रूपये आये थे जिसमें से मेरे द्वारा कुछ पैसे खर्च कर लिये शेष 1500 रूपये मेरे पास है ।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में पूर्व में थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत अभियोग 152/2021 धारा 379 में धारा 411 की बढोत्तरी की गयी है ।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. अरविन्द पुत्र बब्लू यादव निवासी खैर रोड इन्द्रानगर थाना दैहली रोड जिला अलीगढ़ बरामदगी:-

1. 01 ईको गाड़ी UP-83AH-3735
2. 01 पर्स 1500 रूपये
3. 01 सिक्का सफेद धातु
4. 05 अदद पर्ची मुकदमा वादिया की ज्वैलरी से सम्बन्धित
5. 03 अदद एलईडी टीवी ।

पुलिस टीम:-. निरीक्षक श्री श्यामवीर सिंह प्रभारी थाना सिविल लाइन, 30नि0 श्री धर्मन्द्र सिंह, का0 पवन कुमार, का0 पुष्पेन्द्र सिंह, का0 जितेन्द्र सिंह

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद इटावा।